प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः SPMU/Visit Report/2022-23/ 7993 दिनांकः 25.01.2023

**विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद चित्रकूट की भ्रमण आख्या के सम्बंध में।**

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आपके जनपद चित्रकूट की स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण दिनांक 18 एवं 21 जनवरी, 2023 के मध्य किया गया। जिसकी भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि विस्तृत भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये अपनी आख्या 15 कार्य दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**संलग्नक–विस्तृत भ्रमण आख्या।**

भवदीया

Aparna.U

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांकः SPMU/NUHM/2022-23/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
2. अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट मण्डल, बांदा।
4. समस्त महाप्रबन्धक/विभागाध्यक्ष, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति/जिलाधिकारी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।
6. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक/मण्डलीय शहरी स्वास्थ्य सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चित्रकूट मण्डल, बांदा।

(श्री पराग वराडपाण्डे)
महाप्रबन्धक, ई.एम.टी.एस.

## भ्रमण आख्या– जनपद चित्रकूट, 18–21 जनवरी, 2023

भ्रमण टीम के सदस्य

1. श्री पराग वराडपाण्डे – महाप्रबन्धक, ई.एम.टी.एस.
2. श्री अजय कुमार वर्मा – परामर्शदाता एम एण्ड ई
3. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव – कार्यक्रम समन्वयक, नियोजन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मिशन निदेशक महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद चित्रकूट का दिनांक 18 से 21 जनवरी, 2023 तक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या निम्नवत् है–

### सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवरामपुर

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अधीक्षक एवं वेटिंग एरिया में लगे हुये एल.ई.डी. उपयोग में नही लाये जा रहे थे।
2. टेलीमेडिसिन हेतु इकाई पर दिये गये उपकरणों को क्रियाशील नही किया गया था।
3. बायो मेडिकल वेस्ट का सेग्रिकेशन नही किया जा रहा था। सभी प्रकार के कूडे को एक ही बाक्स में डाला जा रहा था।
4. प्रशिक्षण के रिकार्ड पूर्ण नही पाये गये।
5. डाटा वेलिडेशन की बैठक प्रत्येक माह नही की जा रही थी।
6. इकाई पर लगे हुये फायर एग्जूक्शन पर रिफिंलिग दिनांक नही डाला गया था।
7. शिकायत पेटिका में ताला नही लगा था एवं रिकार्ड पूर्ण नही पाया गया।
8. काण्डोम बाक्स नये नियमानुसार तैयार कर नही लगाये गये है।
9. जे0एस0वाई0 के भुगतान 2591 लाभार्थियों को किया गया है जबकि कुल प्रसव की संख्या 2697 है।
10. इंजेक्शन कक्ष में हब कटर नही था एवं औषधियों एवं इजेक्शन को अव्यवस्थित रुप में रखा हुआ था।
11. बायोमेडिकल से सम्बन्धित समस्त वेस्ट को एक ही डब्बे में एकत्रित किया जा रहा था।
12. इकाई स्तर पर बायोमेडिकल बेस्ट का निस्तारण सम्बन्धी प्रोटोकॉल को फालो नही किया जा रहा था।
13. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बनायी गयी वाटिका का रख रखाव ठीक तरीके से नही किया जा रहा है।
14. औषधियों हेतु इन्डेंट इकाई के स्तर से मैनुएल रुप में किया जा रहा है।
15. फार्मेसी हेतु उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर सिस्टम को इकाई पर अन्य कार्य हेतु उपयोगित किया जा रहा है।
16. इकाई पर किये जाने वाले समस्त लैब टेस्ट की सूची प्रदर्शित नही थी।
17. लैब में उपयोग की जानी वाली समस्त सिरिंज को बिना हबकटर से कट किये हुये अन्य कचरे के साथ सीधे डस्टबिन में डाला जा रहा था।
18. प्रसव कक्ष के सामने शूज रैक एवं शू कवर/चप्पल उपलब्ध नही थी एवं स्टाफ के द्वारा कक्ष में बिना किसी प्रोटोकॉल को फालो किये आया जाया जा रहा था।
19. स्टाफ नर्स को नियर एक्सपायरी औषधियों की जानकारी नही थी।
20. औषधियों एवं इजेंक्शन को मिक्स एवं अव्यवस्थित रुप में रखा गया था।

21. कैलिसपैड पंचर पडे हुये थे।
22. स्टेलाइजेशन का रिकार्ड पूर्ण नही किये जा रहे थे और आटोक्लेव के अन्दर गन्दगी पडी हुई थी।
23. आक्सीजन सिलेण्डर से सम्बन्धित रिकार्ड पूर्ण नही किये जा रहे थे।

**हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – सीतापुर**

1. इकाई पर साफ सफाई एवं रख रखाव बहुत ही अच्छा था।
2. इकाई पर स्वीकृत मानव संसाधन के सापेक्ष कार्यरत मानव संसाधन का रिकार्ड उपलब्ध नही था।
3. इकाई पर मानव संसाधन के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में भी कोई रिकार्ड तैयार नही किया गया था।
4. इकाई पर गर्भवती महिलाओं को टी0टी0 नही लगाया जा रहा है और एम0सी0पी0 कार्ड भी नही बनाया जा रहा है।
5. इकाई पर स्टोर एवं काण्डोम बाक्स में काण्डोम की उपलब्धता नही थी।
6. औषधियों के भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड से मिलान करने पर औषधियों का मिलान नही हो सका।
7. इक्सपायरी रजिस्टर पूर्ण नही पाया गया।
8. फार्मासिस्ट के द्वारा मैनुएल तरीके से दवाओं की इन्डेटिंग की जा रही है। डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल का उपयोग नही किया जा रहा है।
9. इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर फार्मासिस्ट के द्वारा कोई भी उचित जवाब नही दिया जा सका।
10. उपकरणों के खराब होने की स्थिति में एजेंसी को किये जाने शिकायत का कोई रिकार्ड नही बनाया गया था।
11. आटोक्लेव रजिस्टर का रिकार्ड पूर्ण नही किया जा रहा था।
12. जन समुदाय समिति के खाते को खोला जा चुका है, परन्तु खाते को अभी तक खोला नही गया है।
13. प्रसव कक्ष के उपरान्त लगाये जाने वाले टीके बी0सी0जी0 की वायल पर समय एवं दिनांक नही डाला गया था।
14.

**वी.एच.एन.डी. सत्र उपकेन्द्र– राजू का घर, मौर्या बस्ती, उपकेन्द्र – खुटहा, ब्लाक शिवरामपुर**

1. ए.एन.एम. शिवपतिया के द्वारा वी.एच.एन.डी. का आयोजन किया जा रहा था।
2. ए.एन.एम. के द्वारा ड्यू लिस्ट बनायी गयी थी।
3. ए.एन.एम. को एच.आर.पी. के विषय में पूर्ण जानकारी का अभाव पाया गया।
4. ए.एन.एम. के द्वारा हब कटर का उपयोग नही किया जा रहा था।
5. हाई रिस्क प्रेगनेंसी का रिकार्ड नही बनाया जा रहा था।
6. आशा के द्वारा लाभार्थियों को बुलाया जा रहा था।
7. ए.एन.एम. के द्वारा काउन्टर फाइल नही बनायी जा रही थी।
8. ए.एन.एम. के द्वारा ए.एन.सी. के दौरान गर्भवती महिलाओं की समस्त जॉचे नही की जा रही थी।
9. सत्र स्थल पर उपलब्ध औषधियों के उपयोग के विषय में ए0एन0एम0 का जानकारी अभाव था।

**हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, उपकेन्द्र –खुटहा**

1. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी की व्यवस्था नही है।
2. सी.एच.ओ. को उपलब्ध कराये गये टैबलेट एवं लैपटाप को घर पर रखा गया था।
3. ओ.पी.डी. रजिस्टर में पेज खाली छोडे गये थे।
4. ओ.पी.डी. को पेज के प्रारम्भ से न लिखकर आधे पेज को छोडते हुये नीचे से लिखा गया था, जोकि संदिग्धता प्रतीत कराता है।
5. जॉच रजिस्टर नही बनाया गया है।

6. कोई भी रिकार्ड पूर्ण नही पाये गये।
7. सी.एच.ओ. के किये जा रहे कार्य संतोषजनक नही था।
8. डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल का उपयोग नही किया जा रहा है।

**जिला संयुक्त चिकित्सालय – चित्रकूट**

1. जिला संयुक्त चिकित्सालय की साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक थी।
2. काण्डोम बाक्स नवीन निर्देश के अनुसार नही बनाये गये थे।
3. स्टाफ द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन नही किया जा रहा था।
4. लैब के अन्दर किये जाने समस्त जांचो की सूची को प्रदर्शित नही किया गया है।
5. स्टाफ द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन नही किया जा रहा था। जबकि कलर कोटेड डस्टबिन उपलब्ध थे।
6. **एनआरसी–**
    a. स्टाफ द्वारा रिकार्ड को अपडेड नही कियाजा रहा था।
    b. बी0एस0टी0 पर लिखे जाने वाली दवाओं की मात्रा और कब दिया जाना है, इसका विवरण नही दर्ज किया जा रहा था।
    c. डाइट चार्ट को पूर्ण नही किया जा रहा था।
    d. डेली वेट गेन चार्ट को भी पूर्ण नही किया जा रहा था।
    e. स्टाक रजिस्टर अपूर्ण पाया गया।

7. **पी0एन0सी0 वार्ड–**
    a. पी0एन0सी0 वार्ड की साफ–सफाई संतोष जनक पायी गयी।
    b. हैण्ड वासिंग हेतु बने बेसिन में एलबोटैब नही लगा था।
    c. 100 एम एल एनएस उपलब्ध नही था, जिसके कारण आयरन सूक्रोज 500 एमएल एनएस से 400 एमएल डिस्ट्राय करके उपयोग में लाया जा रहा था।

8. **लेबर रूम–**
    a. लेबर रूम की साफ–सफाई संतोष जनक पायी गयी।
    b. बायो मेडिकल वेस्ट के अनुसार सेग्रीगेशन नही किया जा रहा था।
    c. केसशीट पूर्ण नही भरी जा रही थी।
    d. पार्टोग्राफ नही भरा जा रहा था।
    e. बिना किसी जानकारी को भरे हुये लाभार्थियों के हस्ताक्षर केसशीट में कराये जा रहे थे।
    f. आक्सीजन सिलेण्डर की लॉग बुक को पूर्ण नही किया जा रहा था।

9. **औषधि वितरण कक्ष–**
    a. औषधियों के डिमाण्ड हेतु मैनुएल तरीके का उपयोग किया जा रहा था, डी.वी.डी.एस.एम. पोर्टल के माध्यम से कैसे इन्डेण्ट किया जाना है इसकी जानकारी फार्मासिस्ट को नही थी।
    b. डेली कन्जप्शन रजिस्टर, एक्सपायरी रजिस्टर एवं स्टाक रजिस्टर नियमानुसार पूर्ण नही भरा जा रहा था।
    c. फार्मासिस्ट से पूछे जाने पर कि क्या किसी भी एक औषधि के स्टाफ को रजिस्टर एवं भौतिक रुप से सत्यापन किया जा सकता है अवगत कराया गया कि यह मैच नही हो पायेगा।
    d. डेली कन्जप्शन रजिस्टर में लाभार्थीवार दी जाने वाली औषधियों का कोई भी रिकार्ड दर्ज नही किया रहा था।

e. स्टोर में रखी हुई औषधियों पर लेबलिंग नही की गयी थी।

10. काउन्सलिंग हेतु परिवार नियोजन एवं एच.आई.वी. काउन्सलर एक ही कक्ष में बैठी हुई थी एवं यहां प्रत्येक हेतु पार्टिशियन कराये जाने की आवश्यकता है।
11. ए.एन.एम. के द्वारा हब कटर का उपयोग नही किया जा रहा था।
12. ए.एन.एम. को विटामीन ए की बोतल खोलने के बाद कितनी दिन तक उपयोग लानी है इसकी जानकारी नही है।
13. चिकित्सालय में टूटी हुयी बेड, कुर्सियां, मेजे, अल्मारी आदि कण्डम समान रखा गया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से वार्ता कर सभी सामाग्री को नियमानुसार कण्डम कराने हेतु कहा गया।
14. वेटिंग एरिया में आडीओ विजुअल आई.ई.सी. हेतु प्रबंधन किया जाना आवश्यक है।
15. इजेक्शन/इमेंरजेंसी कक्ष में किये जाने वाले स्टेलिजेशन का रिकार्ड पूर्ण नही किया जा रहा था।

<u>नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – चित्रकूट</u>

1. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी भवन में संचालित किया जा रहा है।
2. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ उपस्थित पाये गये।
3. सभी स्टाफ के द्वारा कार्य को उचित रुप से सम्पादित किया जा रहा है।
4. इकाई पर इस वित्तीय वर्ष में लगभग 100 से अधिक प्रसव कराये जा चुके हैं, सभी के भुगतान ससमय किया जाय।

<u>एम्बुलेंस सर्विस –</u>

1. दिनांक 19 जनवरी 2023 को वाहन नं0 यूपी 32 ईजी 1751 के 102 के माध्यम से ड्राप किये जाने वाले मरीजों के टेलीफोनिक वरीफिकेशन में पाया गया कि उनके लगभग समस्त पी0सी0आर0 में दर्ज केस फर्जी हैं, उक्त लाभर्थियों से वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि चिकित्सालय सम्बन्धी सेवायें लगभग 2 माह पूर्व ली गयी हैं।
2. सेवा प्रदाता द्वारा समुचित मानव संसाधन प्रतिवाहन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिस कारण उक्त वाहन पर ई0एम0टी0 श्री आलोक कुमार (143450) व पायलेट श्री अजय (151535) विगत 13 दिनों से वाहन पर लगातार सेवाएं दे रहे हैं।
3. वाहन की ए0सी0 कार्य नही कर रही थी। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ए0सी0 की बेल्ट अलग निकाल करके रखी गयी थी।
4. ई0एम0टी0 बी0पी0 लेने में सक्षम नही था एवं चिकित्सा सम्बन्धित सेवाओ का समुचित ज्ञान नही था, जबकि ई0एम0टी0 लगभग 05 वर्षों से कार्य कर रहा है।
5. मानकानुसार औषधियों की उपलब्धता वाहन में नही थी।
6. वाहन में अतिरिक्त चक्का उपलब्ध नही था।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के साथ वार्ता कर अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराते हुये कमियों को यथाशीघ्र निस्तारण हेतु आश्वासन दिया गया।